न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:06 / 2023नामान्तरकरण अपील

1. रसाल पुत्री गंगाबिशन पत्नि शिवसिंह जाति गुर्जर निवासी लाखनपुर तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. कमलेश पुत्री गंगाबिशन पत्नि रामदयाल जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरा बुर्जा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बच्चू पुत्र गंगाबिशन
2. भोलू पुत्र गंगाबिशन
3. मुथरेश पुत्र गंगाबिशन

} समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा।

4. हरिसिंह पुत्र गुठ्ठल
5. कैलाश पुत्र गुठ्ठल

} समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय।

6. श्योदान पुत्र गिर्राज
7. पिन्टु उर्फ नरेन्द्र पुत्र श्योदान
8. राजेश पुत्र श्योदान
9. नहनी पुत्री श्योदान

} समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालेडा तहसील सिकराय जिला दौसा।

10. गिर्राज पुत्री बद्री प्रसाद
11. दिनेश पुत्र गिर्राज
12. बच्ची पुत्री गिर्राज

} समस्त जाति गूजरान निवासी पांचोली तहसील तहसील सिकराय जिला दौसा।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
14. निर्मला देवी पत्नि पृथ्वीराज गुर्जर निवासी धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा।
15. रेशम देवी पत्नि मन्नालाल जाति गुर्जर निवासी धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 26.05.1981 बाबत् भूमि काश्त स्थित धूलकोट तहसील सिकराय)

उपस्थिति : : श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित

: श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 08.01.2025

(प्रार्थना पत्र दफा—5 मियाद अधिनियम)

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 एक ही हिन्दु मुर्स्तका खानदान के सदस्य है। जिनके पिता गंगाबिशन पुत्र गणेश से प्राप्त भूमि जो ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय में स्थित है। गंगाबिशन पुत्र गणेश की मृत्यू 45 वर्ष पूर्व हो चुकी है। जिसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपने नाम दिनांक 26.05.1981 को नामान्तरकरण तस्दीक करवाकर खातेदारी अपने नाम करवा ली। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Rareek
Date: 2025.01.22 18:04:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने में आपत्ति होना व्यक्त करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र दफा –5 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र दफा 5 द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 5 की माता आनन्दी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की पत्नि व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत की माता किस्तूरी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की पत्नि एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 12 की माता मूली एक ही हिन्दु मुर्स्तका खानदान के सदस्य है, जिनकी पैतृक भूमि जो पिता से प्राप्त हुई है ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा मे स्थित है। गंगाबिशन पुत्र गणेश की करीब 45 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 गंगाबिशन पुत्र गणेश की विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 13 से अपने अकेले के नाम दिनांक 26.05.1981 को नामान्तरकरण तस्दीक करवाकर खातेदारी अपने अकेले के नाम करा लिया जबकि पिता गंगाबिशन की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स का भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के बराबर 1/8–1/8 हिस्सा रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट का पिता गंगाबिशन पुत्र गणेश की सम्पत्ति पर 2/8 हिस्सा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्र व पुत्रीयों का बराबर–बराबर हक व अधिकार है। जिसके अनुसार अपीलान्ट्स अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 13 द्वारा बिना जांच किये तथा बिना अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने में गम्भीर त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने आदेश नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया ना ही उन्हें कोई सूचना दी बल्कि अपीलान्ट्स तथा हर आम व हर खास से छुपाते हुये गुपचुप उक्त अवैध नामान्तरकरण पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स को उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 15.02.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 से अपीलान्ट्स के हक में खातेदारी कराने के लिये कहां तो वे टालते रहे तथा दिनांक 01.03.2023 को इन्कार करने से अपील अन्दर मियाद पेश है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 13 द्वारा विधि विरूद्ध अधिकारिता से बाहर जाकर बिना किसी हक अधिकार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम नामान्तरकरण खोला गया है। अवैध रूप से खोले गये नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील करने की कोई मियाद नहीं होती इसलिये अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 द्वारा निवेदन किया गया कि I प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 26.05[illegible] की अपील दिनांक 28.03.2023 को यानि 42 वर्ष बाद पेश की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा [illegible] यह कथन करते हुये अपील पेश की गई है तथा उक्त अवैध नामान्तरकरण [illegible] को आने पर खातेदारी कराने पर होना बताया गया है। अपीलान्ट्स अपने पिता के हर साल में दो चार बार आती रही है। नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारम्भ [illegible] रही है। प्रार्थीगण से पूर्व कमला देवी पत्नि मोहरपाल, कमली देवी पत्नि जयसिंह, सुमेरसिंह पुत्र मोहरपाल गुर्जर के हक में रजिस्टर्ड विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:02:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र होकर 9–10 वर्ष पूर्व ही नामान्तरकरण हो चुका है। कई बार भूमि विभिन्न बैंको को रहन रही है तथा रहन दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड रही है तब तक पूर्ण जानकारी के बावजूद भी नामान्तरकरण की अपील पेश नहीं की गई। प्रार्थीगण के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने पर नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन को रूकवाने वास्ते यह अपील गलत उद्देश्य से पेश की गई है। नामान्तरकरण प्रश्नगत के बाद कई नामान्तरकरण इसी आराजी बाबत् हो चुके है। प्रश्गनत नामान्तरकरण 26.05.1981 को तस्दीक किया गया है। तत्कालीन समय में वारिस नामान्तरकरण महिलाओं के नाम तस्दीक किये जाने का प्रावधान नहीं था। यदि अपीलान्ट को कोई अधिकारात आराजी बाबत् है तो वह नियमित दावा अधिघोषणा का पेश कर अधिकार प्राप्त कर सकती है। महज नामान्तरकरण प्रश्नगत से अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। उक्त अपील बिना कोई संतोषजनक कारण बताये पेश की गई है जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रार्थीगण को हानि पहुंचाने का है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का पूर्व में भी विक्रय पत्रों द्वारा बेचान किया जा चुका है। तत्समय अपीलान्ट्स द्वारा कोई उजरात पेश नहीं किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण दिनांक 26.05.1981 को तस्दीक किया गया है। जिसके 42 वर्ष पश्चात् यह अपील पेश की गई है। इतने लम्बी समयावधि पश्चात् अपील पेश किये जाने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। उक्त आराजी में से जरिये विक्रय पत्र पूर्व में बेचान भी हो चुके है। अपील को स्वीकार किये जाने की स्थिति में वाद बाहुल्य की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अपील पेश किये जाने में अत्यधिक विलम्ब को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा–5 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली में प्रार्थीया कमला देवी पत्नि मोहरपाल, कमली देवी पत्नि जयसिंह गुर्जर निवासी धूलकोट तहसील सिकराय, सुमेरसिंह पुत्र मोहरपाल जाति गुर्जर निवासी धूलकोट तहसील सिकराय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है। प्रकरण मेंप्रार्थना पत्र दफा–5 खारिज होने पर अन्य प्रार्थना पत्रों पर विचार किये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दफा–5 खारिज किये जाने से अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:04:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official